

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Him Parivesh, Phase-III, New Shimla (H.P.) 171009

No. PCB/NGT/OA No. 962/2019- 1866

Dated: 1-2-2020

From: Member Secretary

✓ To

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001.

Subject: O.A. No. 962/2019 titled as Sh. Pawan Thakur V/s State of H.P. before the Hon'ble NGT Delhi.

Sir,

Kindly refer to order dated 01.11.2019, passed by the Hon'ble National Green Tribunal, in the above-cited matter related to unlawful mining in VPO Chandpur, Tehsil Haroli, District Una, wherein District Magistrate, Una and Himachal Pradesh State Pollution Control Board were directed to look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report.

In this connection, it is submitted that in compliance of aforesaid order, a joint inspection committee constituting of representatives of District Administration, Haroli, Una, Regional Officer, HPSPCB (Una) alongwith Police, Forest & Mining Department officials conducted the site inspection on 17-12-2019 and on 15-01-2020 after demarcation of the land under question carried out by the Revenue Department.

Copy of the Joint Inspection Report is annexed as **Annexure R-1/1**. According to the report, no heavy machinery was found on the spot at the time of spot inspection by joint inspection committee. However piles of mining material were found dumped at the spot. Reportedly, action has already been initiated against violators by Mining Department for illegal mining/illegal transport of minerals and the Police. At present no mining activity is going on in the said area.

The Action Taken Report of the Committee is enclosed (**at Annexure R-1**), which may kindly be taken on record please.

(Enclosed: as above)

Yours faithfully,

(Aditya Negi, IAS)
Member Secretary
HPSPCB, Shimla

Tel. No. 0177-2673766



H.P.STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office Una

Phase-IV Rakkar Colony, Tehsil & Distt. Una, Pin-174303(H.P.)

Phone: 01975-238131

Website : <http://www.hppcb.nic.in> e-mail : pcbrouna@gmail.com

Regd. Post

No. HPSPCB/RO/Una/OA No. 962 of 2019/2019- 1730

Dated: 31/01/2020

From: Environmental Engineer
To

The Member Secretary,
HP State Pollution Control Board,
Shimla-9.

Subject: O.A. No. 962/2019 titled as Sh. Pawan Thakur v/s State of HP, pending before the Hon'ble NGT Delhi-compliance regarding.

Sir,

With reference to your office letter no. PCB/O.A. No. 962/2019-458-461 dated 09/01/2020 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith joint inspection report dated 15/01/2020 carried out by the Joint Inspection Committee with reference to subject cited NGT Order.

This is for favour of your kind information and further necessary action please.

Yours faithfully,

Encls. As Above.


Er. S.K. Dhiman
Environmental Engineer

Joint Inspection Report

With reference to the Hon'ble NGT Order dated 01/11/2019 in the matter titled Pawan Thakur v/s State of HP regarding unlawful mining with the help of JCB, Porkland, Tipper and also uprooting trees by deploying large number of labour and machinery in VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). In this regard, the spot inspection at Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) was again carried out on 15/01/2020 at 3:00 PM, after the demarcation of the land under question carried out by the Revenue Department, as decided earlier by the joint inspection committee on 17/12/2019 during joint inspection at the spot.

The following Officer/officials were present during the spot inspection:

1. Er. S.K. Dhiman, Environmental Engineer, HPSPCB Una.
2. Sh. Dev Raj Bhatia, Tehsildar, Haroli, Distt. Una (HP).
3. Sh. Om Prakash, ASI, Police Station Haroli, Distt. Una (HP).
4. Sh. Sandeep Kumar, Deputy Ranger, Forest Department Una.
5. Sh. Ram Dass, Assistant Mining Inspector Una.
6. Sh. Rakesh Kumar, Field Kanungoo Tahliwal.
7. Er. Praveen Kumar, JEE, HPSPCB Una.
8. Er. Gupreet Singh Atwal, JEE, HPSPCB Una.

The complainant Sh. Pawan Thakur, Village Bathu, Tehsil Haroli, District Una (HP) and respondents Sh. Rajat Rana S/o Sh. Som Nath, Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Madan Lal and Sh. Rohit Kumar, S/o Sh. Joginder Singh, R/o VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) were also requested telephonically to remain present at the time of Joint Inspection. Whereas, only two respondents viz. Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Madan Lal & Sh. Rohit Kumar, S/o Sh. Joginder Singh, R/o VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) were present at the time of joint inspection.

Attendance Sheet is enclosed as **Annexure I**.

During the joint inspection following observations were made by the joint inspection committee:

1. No mining activities were observed in the area at the time of spot inspection by the Joint inspection committee and no heavy machinery/JCB, Porkland, Tipper etc. were found on the spot. However, piles of mining material found dumped at the spot.
2. Revenue Department on 15/01/2020 conducted demarcation of the area under question where illegal mining has been carried out as per the recommendation of joint inspection committee during its earlier joint inspection on dated 17/12/2019. Copy of demarcation report is enclosed herewith as **Annexure II**.
3. As per the said demarcation report and field verification by the joint inspection committee it was observed that illegal mining has already been carried out in Khasra no. 486 and partially in 423, 435, 426, 433, 434 & 425 in Mohal Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). During the field inspection piles of mined material containing boulder, sand & earthen material found stacked at Khasra No. 486 of Mohal Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). It is pertinent to mention here that Khasra no. 486 is a Govt. land and Sh. Pawan Thakur is co-sharer of land comprising Khasra nos. 423, 426 & 435 kism Khadetar and Khasra no. 433, kism gair-mumkin khad as per revenue record. Whereas, Khasra No. 425 belongs to other owners.
4. Mining Department apprised the joint inspection committee that they have already taken action against Sh. Rajat Kumar S/o Sh. Som Nath R/o VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for illegal transportation of minerals at Village Chandpur, near to the spot where illegal mining has

already been carried out. Copy of Challan Nos. 0198497 & 0198630 dated 23/02/2019 is enclosed as **Annexure III & IV** respectively. Copy of compounding Rs. 10,000/- received from Sh. Rajat Kumar Rana is enclosed as **Annexure V**. Sh. Rajat Kumar has submitted his acceptance of illegal mining and transportation of minerals vide application dated 23/02/2019 addressed to the Mining Officer, Una, Distt. Una (HP). Copy of application enclosed as **Annexure VI**.

5. The Police Department apprised that Sh. Pawan Thakur, S/o Late Sh. Roshan Lal, S/o VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) has already lodged an FIR against Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Madan Lal, Sh. Rohit Kumar, S/o Sh. Joginder Singh and Sh. Rajat Kumar Rana S/o Sh. Som Nath R/o VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) vide FIR Number 0185 dated 09/08/2019 under section 379, 447 & 34 of IPC 1860 and under Section 21 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957. Copy of FIR enclosed as **Annexure VII**.
6. Joint Inspection Committee is of the opinion that in the said area there is no forest land/trees, only shrubs are found there which is also verified by the representative of the Forest Department.
7. Copy of Statement of Smt. Kamlesh Kumari, Ex-Pradhan Gram Panchayat Chandpur, Distt. Una (HP) dated 23/07/2019 and copy of statement of Sh. Rohit Kumar Rana, Sh. Rajat Kumar, Sh. Vijay Kumar, Sh. Satish Kumar (Vice Pradhan), Sh. Devendar Kumar and other resident of Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) dated 26/07/2019 recorded in the presence of representative of Mining Department Una are enclosed herewith as **Annexure VIII & IX** respectively.

At present, neither any mining activity is going on in the above said area nor any heavy machinery/JCB, Porkland, Tipper etc found on spot. No sign of uprooting of trees observed at spot and mining activities appears to be stopped since last 5-6 months. As the action has already been initiated by the concerned Mining Department by challaning and also complainant Sh. Pawan Thakur has already lodged an FIR against the respondents and the matter is under investigation stage.



Sub Divisional Officer (C)
Haroli


Deputy Superintendent of
Police Haroli
Haroli, District Una (H.P.)


Environmental Engineer,
HPSPCB Una


Tehsildar Haroli


Mining Officer Una
Mining Officer,
UNA, Distt. Una (H.P.)



Deputy Ranger Forest
Department Haroli


A.M.I.

Attendance Sheet of the Joint Inspection conducted on 15/01/2020 in compliance to Hon'ble NGT Order dated 01/11/2019 in OA No. 962/2019 titled Pawan Thakur v/s State of HP

Sr. No.	Name & Designation	Contact Number	Email-ID	Signature
1.	Ram Dass Asstt. Mining Inspector Una	9805207979	—	RD
2	Asi Anandkesh P.S. Haroli	9418115458	—	Anandkesh
3.	He Rajesh Kumar No. 87 P. Shardi	98164-47264	—	Rajesh
4.	AMAN KUMAR Forest-Guard	88949-8428	—	Amank
5	RAHIT KUMAR Jotifajinda Singh.	8919243124	—	Rohit
6	Veddy Kumar	75990014102	—	Veddy
7	S. Dev Raj Bhatta - Tensiler Haroli	94181093320	—	S
8	Er. S. K. Sharma Env. Engineer PCB Una	9418006310	—	S

Attendance Sheet of the Joint Inspection conducted on 15/01/2020 in compliance to Hon'ble NGT Order dated 01/11/2019 in OA No. 962/2019 titled Pawan Thakur v/s State of HP

Sr. No.	Name & Designation	Contact Number	Email-ID	Signature
9.	Priya Patwari (Inspector)	980546432	—	
10	Khele Sharma Patwari Bahini	8351967531	khele.s.pati1966@gmail.com	
11	Rajesh Kumar Ak. Tardua	98168-17045	—	
12.	Sandeep Kumar Deputy Ranger	8894608550	—	
13.	Pawan Kumar JEE-I HPSCE Uts	941858787	pawankumar@gmail.com	
14.	Gurpreet Singh Ahwal, HPSCE Uts	8220307313	— ds —	

प्रेषक

तहसीलदार हरोली,
जिला ऊना

प्रेषित


प्रभारी,
पुलिस थाना हरोली,
तहसील हरोली जिला ऊना

क्रमांक / रीडर-1 दिनांक 18-1-2020

विषय आवेदन निशानदेही मुकदमा न. 185/19 दिनांक 9-8-2019 जैर धारा 379,447,34 IPC&21 Mining Act. के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आप के कार्यालय पत्र संख्या 2063 दिनांक 31-8-2019 के सन्दर्भ में फील्ड स्टाफ में निशानदेही करवाई गई। जिस की छायाप्रति साथ सलग्न आप की सेवा में प्रेषित है।



तहसीलदार हरोली,

जिला ऊना

पृष्ठांकन संख्या 34 / रीडर-1 दिनांक 18-1-2020

दुम पत्र की एक प्रति निम्न को प्रेषित है।

1. खनन अधिकारी ऊना जिला ऊना को कार्यालय पत्र संख्या 838 दिनांक 6-9-2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अधिशापी अभियन्ता प्रदुपण नियन्त्रक बोर्ड ऊना को उनके पत्र संख्या 1621-1633 दिनांक 13-1-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।


तहसीलदार हरोली,
Haroli, Distt. Una (H.P.)
जिला ऊना

श्रीमानजी,

आज रोज तुलसी आमदा आदेश पत्र संख्या 24/R-1 दिनांक 15.01.202

क पत्र संख्या 1153/R-II दिनांक 12.09.2019 काफिलत लहमीलपुर साहय
लहमील हरोली जिला अना की पालना में वापस आनेका पत्र पुलिस विभाग थान
हरोली व खनन आधिकारी जिला अना वराने मिशातदेही शर्मि नम्बर खसप
444-445-496-519-520-427-655-422-423-433-435-437-438-426-493-504
505-507-511-637-648-649-650-651-652-653-657-499-654-726-426-506 किला

32 कानना महाल चन्द्रपुर वलमरी कुमारी शिवा प्यारी पत्वार कुल कुगडल -I व
श्री करिंदर कुमाट धाई टाईन वरुम प्यारकुल कुगडल नो व मम राजम रिवाई -
सामान पैमईश फौला मीट्रिक सहेल मौला पट पहुँचा मौला पट सर्व श्री ओम

पुनरा A SI पुलिस थाना हरोली-राजेश कुमाट H.C. पुस्मि थाना हरोली-
संदीप कुमाट धेपकान्य रिवागुथ वन विभाग-अमन कुमाट वन रक्षक वन पेट

पालक्या वन विभाग- सुशाल कुमाट रसम सुदुषण निमन्त्रण केंद्र - गुरपाल सिंह
सुदुषण निमन्त्रण केंद्र- राम दास 1258 MA- सहेल कुमाट पुम जो गिन्म सिंह
उपाहित आये श्री उपाहितगण वमम हलाकाट साथ सलगन है।

सर्वप्रथम फौला मीट्रिक की लम्बाई तीस (30) मीटर की कुडहा
की जांच सभी उपाहितगण को निममानुसार करके वलारि गई छिसे सभी
उपाहितगण ने वलम व सही माना। उसके उपरान्त विषय वस्तु वारे उपाहितगण

से चर्चा की गई व निशातदेही मौला में पूर्व कुला मौला जाल वारे पूछा गया
उपाहितगण हल वलारे जमे कुला मौला जाल शर्मि नम्बर खसप 578 का
उत्तर पूर्वी कोना मार्क (A) व नम्बर खसप 582 का दक्षिण पश्चिम

कोना मार्क (B) व नम्बर खसप 551 का दक्षिण पश्चिमी कोना
जिसे मार्क (C) दिलाया गया है उसल सभी मौला जाल की जांच पडलल
(मलार्कि अमम कुसाथी मौला पट फौला मीट्रिक हल मीटर वान पैमईश कलके

की गई लता परस्पर उल्लंघन करने उपरान्त उत्तर तीनों रुई वल्लाजाल
मौला पट खसप अनुसार सही व दहेल वारे जमे जिन्हें उपाहितगण ने
रुई व सही माना तत्पश्चात उपरोक्त तीनों कुला मौला जाल की सहाय

से नम्बर खसप 444-445-496-519-520-427-655-422-423-433-435-437-
438-426-493-504-505-507-511-637-648-649-650-651-652-653-657
499-654-726-426-506 किला 32 की निशातदेही साथ लगेले नम्बरान खसप

की वजरिना फौला मीट्रिक उपाहित पैमईश कलके मौला पट की गई व
निशात लगेवाकर पत्तरवाम कारकोफे जमे व दिवाहित शर्मि की सीमाएं
श्री वलारि गई व समझारि गई गिसे सभी उपाहितगण सहमत है।
यहां यह उल्लेखनीय है की शर्मि नम्बर खसप 486 मलम S

नम्बर खसरा 423-425-426-433-434-435 में आंशिक तरे पर
 खनन हुआ जाता गया व नम्बर खसरा 486 में मौका पर पत्तल व मिट्टी
 के ढेर लगे हुए हैं नम्बर खसरा 423-426-435 की जिस इमि
 खसरा व नम्बर खसरा 433 गैरसुसुखी खसरा की जमापत्ती है इमि नम्बर
 खसरा 423-~~425~~-426-433-435 में खिलानागली पक्का ठगाल व
 इमि मालका की उदरका मलकीगली इमि है व इमि नम्बर खसरा 425
 मल मालका की मलकीगली इमि है व नम्बर खसरा 486 हिमाजल उपेय
 सरका की मलकीगली इमि है।

आल: इलपुनरु वा निशागैही मौका, रिपोर्ट निशागैही

आगामी कार्रवाई हेर सेवा में प्रस्तुत है



 15/01/2020
 Dat. Kanyat

No 1669 PKT

Raf
 fkg talind
 15/01/2020

हाजी आदिपत्तना

१९४०

क्रम संख्या	नाम आदिपत्तना	हस्ताक्षर
1	ओम प्रकाश A.S.I	
2	राजेश कुमार H.C	
3	अमन कुमार F.G. वीट पालिका	Amankumar
4	रोहित कुमार जून नौगढ़ सिं	Rohit
5	दुरसही J.E. Pollution Control Board	
6	रामबाल कृष्. मश	Ram
7	खदीप कुमार Deputy Ranger	
8	वलन्दर झापट मेमोरियल परकावत. अंगड़	
9	पिया परकावत अंगड़	
10	श्री सुशील कुमार रमधन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

15/01/2020

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियम, 1971 के नियम 57(2) के अन्तर्गत शिकायत
क्रमांक: 0198497
Engr. No. 310214/KC
Chassis No. CUCD69462353
दिनांक प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और
N. 29
25/2/19.

1. लघु खनिज प्रेषित/विक्री करने वाले व्यक्ति/पुरुष का नाम | A/F 01/1/17
2. लघु खनिज प्रेषित/विक्री करने वाले व्यक्ति/पुरुष का नाम व पता | Rajat Kumar S. Som Nath
N.D.D., Chandpur Hasoli,
3. वाहन चालक का नाम व पता
4. निरीक्षण का दिन एवं समय | 23/2/19
5. वाहन में डोए जा रहे खनिज का नाम व मात्रा | Stone Ore Tzedi
1.25PM
6. स्थान का नाम, जहां खनिज भरे हुए वाहन की पड़ताल की गई | Chandpur
7. जो वाहन पकड़ा गया उसके भास नियम 57 के अन्तर्गत परामन पत्र नहीं थे या जो परामन पत्र दिखाया गया वह किस कारण से विधिमाम्य नहीं है | w/o form id
8. ले जा रहे खनिज के वाहन चालक/गवर्तिक के हस्ताक्षर | fine Rs. 5000
9. गवाहों के नाम, पते एवं ब्यान (संलग्न सूची) |

निरीक्षणकर्ता अधिकारी/अधीनकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद | P.O.
23/2/19

स्थान Chandpur
दिनांक: 23/2/19
AMI

15

हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

Annexure-50
T.C.N. 50
23/2/19

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियम, 1971 के नियम 57(2) के अन्तर्गत शिकायत

क्रमांक. 0198630

Engine No → 39.1345/LF001595
Chassis No. AZTG30405070336
Traction
Hwasan-735PE

1. लघु खनिज प्रेषित/विक्री करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम ।
2. वाहन मालिक का नाम व पता तथा नम्बर/प्रकार
3. वाहन चालक का नाम व पता
4. निरीक्षण का दिन एवं समय
5. वाहन में ढोए जा रहे खनिज का नाम व मात्रा
6. स्थान का नाम, जहां खनिज भरे हुए वाहन की पड़ताल की गई ।
7. जो वाहन पकड़ा गया उसके पास नियम 57 के अन्तर्गत परगमन पत्र नहीं थे या जो परगमन पत्र दिखाया गया वह किस कारण से विधिमान्य नहीं है ।
8. ले जा रहे खनिज के वाहन चालक/मालिक के हस्ताक्षर ।
9. गवाहों के नाम, पते एवं ब्यान

Rishu Singh. UPO Chandpur
Tehsil Distt Una (H.P)

23/2/2019 at 1.20pm.
shown orally.
Chandpur

without w form.

Fine Rs. 5000

(संलग्न सूची)

Feb 8/19


निरीक्षणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
(नाम एवं पद) MO

स्थान Chandpur
दिनांक: 23/2/2019

AMT

23/2/19

Annexure-~~1~~ ✓
Received Rs. 10,000/- for two tractors Applied for
Registration as Compounding fees (5000/- Rs. each
tractor totally) on account of illegal transportation
of minerals in Chandpur village, Tehsil Harali, Distt.
Una from Sh. Rajat Kumar s/o Sh. Somnath, village
Chandpur, Distt. Una, on today 23/02/19.


Mining Officer,
UNA, Distt. Una (H.P.)

Received original Receipt

Rajat Kumar

सेवा में

रमन डॉक्टर का

निष्पक्ष और धरम से हर पालन
गुणित है।

महोदय,

निवेदन है कि आज दिनांक 23/02
को विनाम द्वारा गांव पंचपुर में निजी रूप

अधिसूचना से रमन का पत्र में
मेरे को ड्रक्टर पकड़े गए में हलान कर रहे
निष्पक्षता अनुसार प्रमाणों का करवाने में तैयार हूँ।
प्रमाणों वस्तुतः कर मेरे मामले का निष्पक्षता
तथा में साबित करवा हूँ कि निष्पक्षता
कारण द्वारा नहीं करवा।

दिनांक 23/02/2019

Dijpat Kumar
अधीन

रमन कुमार S/O सोहन वर्मा
गांव पंचपुर जिला पालकवाह
तो हरेली कि हरेली

			INDIA
2	ROHIT KUMAR	Father's Name : SH JOGINDER SINGH	1. R/O VPO CHANDPUR, HAROLI, HAROLI, UNA, HIMACHAL PRADESH, INDIA
3	RAJAT KUMAR RANA	Father's Name : SH. SOM NATH	1. R/O VPO CHANDPUR, HAROLI, HAROLI, UNA, HIMACHAL PRADESH, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
-----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तैहरीर जेल है:-सेवा में,एस0 एच0 ओ,हरोली,जिला ऊना हि0 प्रदेश। विषय:-मलकीती जमीन पर जबरदस्ती खनन करने के बारे में (1. विजय कुमार पुत्र गदन लाल, 2.रोहित कुमार पुत्र जोगिन्द सिंह, 3.रजत कुमार राणा पुत्र सोमनाथ गांव व डा0 चन्दपुर तहसील हरोली जिला ऊना हि0 प्रदेश) के विरुद्ध शिकायत पत्र। श्री मान जी, निवेदन यह है कि मैं पवन ठाकुर S/O Lt श्री रोशन लाल गांव वाथू का स्थायी निवासी हूँ मेरी मलकीती जमीन खसरा न0 444, 445, 496, 519, 520, 427, 655, 422, 423, 433, 435, 437, 438, 426, 493, 504, 505, 506, 507, 511, 637, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 657, 499,654,726,426 जिसकी महाल चन्दपुर तहसील हरोली में है। जिसकी किस्म खटेतर व खड़काना है। उसमें खैर,शीशम और जंगली वृक्ष लगे हुए थे वह जमीन पथरीली और पहाड़ी है। उस जमीन से गांव चन्दपुर के विजय कुमार स्पुत्र/गदन लाल,रोहित कुमार स्पुत्र/जोगिन्द सिंह,रजत राणा स्पुत्र/सोमनाथ ने मेरी वगैर अनुमति के अवैध खनन (पोकलैंड,जे0 सी0 वी0,टिप्पर और ट्रालियों) से किया और इसमें से सैंकड़ों ही टिप्पर पत्थरों के निकाल कर स्वां चैनेलाईजेशन, पेखूवेला व बसाल में चल रहे काम पर ठेकेदारों को जाकर वेच दिए और मेरी कम से कम 5-6 एकड़ जमीन पर अवैध खनन करके जमीन को बरबाद कर दिया और उस पर लगे कीमती वृक्षों खैर व शीशम आदि को भी नष्ट कर दिया। और लाखों रूपये का पत्थर जमीन में चोरी से निकाल कर बेच दिया। अतः आपसे निवेदन है कि इस अवैध खनन में संलिस दोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। धन्यवाद सहित,शिकायतकर्ता हस्ताक्षर हिन्दी पवन ठाकुर पवन ठाकुर स्पुत्र स्व0 श्री रोशन लाल गांव व डा0 वाथू जिला ऊना हि0 प्रदेश। मो0 न0 98160-79477 चश्मदीद गवाह 1.श्रीमति कमलेश कुमारी पूर्व प्रधान चन्दपुर 2.श्री मोहन लाल स्पुत्र श्री जगत राम जात राजपूत वासी चन्दपुर Enclose:-संलग्न प्रतिलिपी जमावन्दी 10 पृष्ठ (दस) कार्यवाही पुलिस:-हस्व आमदा शिकायतपत्र को हर्लूफ व हर्लूफ जाव्ते तैहरीर में लाया गया। मजवून शिकायतपत्र से मामला जुर्म जेर धारा 379,447,34 IPC Sec. 21 Mining Act का वकूह में आना पाया जाने पर मुकदमा उपरोक्त व जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर थाना किया गया। मिसल मुकदमा तैयार करके आगामी तपत्तीश हेतू ASI शिव प्रकाश के हवाले की जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Shiv Parkash Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
No.(सं.): NA to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer In charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ashok Kumar
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): a16831

व्याज श्रीमती कमलेश कुमारी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत चांदपुर तं
हरोली जिला अना ।

व्याज किया कि आज माहमिगं इन्फ्रान्स्टर व अर्वािनस्थ टीन दिन
23/4/2019 को श्री पवन बाबु निवासी बाथू रोशन नगर हार की
गई शिकायत के संबंध में मौका जनवर्षण हेतु ग्राम चांदपुर में
हार/व पूछताछ की ।

व्याज किया कि गांव चांदपुर में साथ लागते जंगल में लोगों की
मलकीती भूमी है जिसे हमारी, शिकायतकर्ता पवन बाबु की भू
है। इसके अतिरिक्त साथ में अन्य स्थानीय निवासियों की भी मलकिय
भूमी है।

व्याज किया कि पिछले लगभग 5-6 महीनों से पत्थर, मिट्टी निक
कार के गाड़ी छोड़ कर बिचा जा रहा था। गत मई माह में मेरी द्वारा
खननकर्ताओं * विजयकुमार 5/0 श्री मदन लाल, रोहित कुमार 5/0 श्री जोगिन्द्र
सिंह व अजय शर्मा 5/0 श्री सोमनाथ 5/0 चांदपुर को खनन करने से रोक
गया व पवन बाबु को सूचित किया गया। साथ में मेरी श्री
मलकियती भूमी लागती उसमें भी खनन शुरू कर दिया था जिसको
मेने मौका पर रोक जा कर रोक दिया था। तदोपरान्त खनन कार्य
आज तक बन्द है।

मौका पर व्याज कालमबंद किया गया ।

हस्ताक्षर

Kamlesh Kumari

(श्रीमती कमलेश कुमारी)

पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत चांदपुर
तं हरोली जिला अना ।

अध्यान मुश्तकान रोहित कुमार, रजत कुमार, विजय कुमार, गणपतिया

1-प्रधान श्री सतीश कुमार एवं श्री देवेंद्र कुमार गणपतिया आदि

मुश्तकान तौर पर अध्यान किया कि आज दिनांक 26-7-2019 को माइनिंग इंसपेक्टर व असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा पवन हाकुर द्वारा गांव चांदपुर में खनन किया जाने वाले जो जिलापति खनन अधिकाारी द्वारा जो दी थी, के सर्वे में जोका खनन क्षेत्र जोका पर खनन स्थल पर हाकिम आर और होमलिन की

दोषी रोहित कुमार, रजत कुमार व विजय कुमार एक ही कुटुम्ब/परिवार में सम्बंध रखते हैं। आपस में पचौरे गाई हैं। इनके बुजुर्गों का श्रीमती कमलेश्वरी कुमारी पूर्व प्रधान के साथ कुछ भूमि की सीमा लगती है व इसका विवाद बीच बीच में चलता रहता है। इन दोनों परिवारों के बीच में पहले ही मुकदमें दर्ज हैं व मुद्दे मुकदमों में बनाए गए हैं जिनका निपटारा हो चुका है। उपरोक्त यथा रोहित, रजत एवं विजय की भूमि जंगल मलकीयत जंगल के साथ होती है तथा पवन हाकुर व श्रीमती कमलेश्वरी कुमारी पूर्व प्रधान की मलकीयती भी साथ-साथ लगती है। जिसमें भूमि को समतल करके कुछ पैगय खनन क्षेत्र कार्य किया गया है। जंगल निकाले गए मलके को अपनी मलकीयती भूमि में ष्टाया गया है। कहीं अन्य जगह को विक्री व निर्यात नहीं किया गया है। शिवापत परिवारिक रूप से रंजिश के चलते व अस्वा-राजनैतिक विचारधारा चलने लगी गई है। इस अपनी मलकीयती भूमि को समतल करके कुछ पैगय खनन चाहते हैं व मजान निर्माण भी करना चाहते हैं। अध्यान सुने कि तब हस्ताक्षर किए।

अध्यान सुने कि तब हस्ताक्षर किए।
[Circular Stamp]
[Signature]
दिनांक

अध्यानकर्ता
[Signature]
S/O Jaginder Singh Vill- Chandpur
Po- Pal Kuanh.

देवेंद्र कुमार 2
[Signature]
[Signature]
[Signature]

विजय कुमार
रजत कुमार S/O श्रीमाननाथ
गाम चांदपुर
[Signature]
[Signature]
[Signature]